प्रेषक

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पचंकूला।

सेवा में

1. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
2. निदेशक, विद्यालय शिक्षा विभाग, यू0टी0 चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक 15/37–2021 पी0जी0टी0–I (3)
दिनांक पंचकूला : 13-10-21

**विषयः–** **सी0एण्ड0वी0/टी0जी0टी0 संस्कृत से पी0जी0टी0 संस्कृत के पदों पर पदोन्नति मामले भेजने बारे।**

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के पत्र क्रमांक 15/37–2021 पी0जी0टी0–I (3) दिनांक 14.09.2021 के सन्दर्भ में

विषयांकित मामले में आपको लिखा गया था कि निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला से प्राप्त सी0एण्ड0वी0/टी0जी0टी0 संस्कृत की दिनांक 20.08.2021 की वरिष्ठता सूचि में से वरिष्ठता क्रमांक 1 से 2000 तक, जो कि निदेशक, मौलिक शिक्षा हरियाणा की वैबसाईट पर उपलब्ध है, के अनुसार अपने–2 जिलों से सम्बंधित सी0एण्ड0वी0/टी0जी0टी0 संस्कृत से पी0जी0टी0 संस्कृत के पदों पर योग्य उम्मीदवारों के पदोन्नति मामले संलग्न प्राफोर्मा में हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल कैडर (ग्रुप–ख) सेवा नियम, 2012 अनुसार पूर्ण करके नवीनतम जांच/शिकायत/कोर्ट केस आदि लम्बित न होने बारे प्रमाण पत्र सहित निम्नानुसार पदोन्नति मामले निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें:–

i) सी0एण्ड0वी0/टी0जी0टी0 संस्कृत की दिनांक 20.08.2021 की वरिष्ठता सूचि में वरिष्ठता **क्रमांक 1 से 2000 तक** सेवा नियम–2012 व सेवा नियम (ग्रुप–बी) 2012 में किये गये संशोधन दिनांक 23.06.2017 अनुसार योग्य उम्मीदवारों के पदोन्नति मामले निर्धारित प्राफोर्मा अनुसार भिजवाये।
ii) वरिष्ठता **क्रमांक 1 से 2000 तक** योग्य/अयोग्य उम्मीदवारों के स्पष्ट कारण सहित जिलावार सूचि अनुसार प्रत्येक कर्मचारी बारे पूर्ण रिपोर्ट निदेशालय को भिजवाये।
iii) वरिष्ठता **क्रमांक 1 से 2000 तक** जो कर्मचारी पी0जी0टी0 पद पर पदोन्नति लेने के इच्छुक न हो, उससे शपथ पत्र प्राप्त कर निदेशालय को भिजवाये।

**इसके अतिरिक्त आपको निर्देश दिये जाते है कि अपने जिले से सम्बंधित सभी सी0एण्ड0वी0/टी0जी0टी0 संस्कृत कर्मचारियों का एम0आई0एस0 पोर्टल पर *MIS Profile with all documents /qualification certificates* सहित पूर्ण रूप से अपडेट करवाना सुनिश्चित करें।**

अतः आपको पुनः निर्देश दिये जाते है कि सी0एण्ड0वी0/टी0जी0टी0 संस्कृत से पी0जी0टी0 संस्कृत के पदों पर योग्य उम्मीदवारों के पदोन्नति मामले संलग्न प्राफोर्मा में हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल कैडर (ग्रुप–ख) सेवा नियम, 2012 अनुसार पूर्ण करके नवीनतम जांच/शिकायत/कोर्ट केस आदि लम्बित न होने बारे प्रमाण पत्र सहित सभी दस्तावेजों की फोटोप्रतियां पढ़ने योग्य दिनांक 18.10.2021 तक हर अवस्था में भेजना सुनिश्चित करें। मामले के साथ कोई भी un-readable दस्तावेज व अधूरा मामला पदोन्नति के लिये ना भेजा जाये अर्थात् स्पष्ट सिफारिश सहित मामला भेजा जाये। इसमें अगर कोई भी कोताही बरती जाती है तो इसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होगें।

13/10/21

अधीक्षक पी0जी0टी0–I
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला